संख्या-3 /2019/289/एक-4-2019-रा0-4

प्रेषक,

धीरज पाण्डे ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 28 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रदेश के समस्त तहसीलों में नायब तहसीलदारों के उपयोगार्थ आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रति तहसील 01 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के पत्र संख्या- जी-645/12-विविध/2011 दिनांक 07.12.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील में नायब तहसीलदारों द्वारा राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण दायित्वों जैसे क्षेत्र में जाकर भू-राजस्व की वसूली, राजस्व वादों का निस्तारण, मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के कार्यों का क्षेत्र में पर्यवेक्षण, सीमा सम्बन्धी विवादों का स्थलीय निस्तारण, अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटवाने जैसे कार्यों के अतिरिक्ति जनपदों में होने वाले आपदा बचाव/राहत वितरण, शिकायतों की स्थलीय जांच एवं उनका मौके पर निस्तारण, मजिस्टेट ड्यूटी एवं वी0आई0पी0 ड्यूटी, मतदाता सूची का सत्यापन, निर्वाचन में ड्यूटी जैसे दायित्वों के कार्यान्वयन में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रदेश के समस्त 350 तहसीलों में नायब तहसीलदारों के उपयोगार्थ प्रति तहसील 01 अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है कि अनुमन्य वाहन (तहसील स्तर की अनुमन्यतानुसार) की व्यवस्था निर्धारित नियमों/शासनादेशो के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-15 गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि खरीद मद से किया जायेगा।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)

विशेष सचिव।

संख्या- 3 /2019/289 (1)/एक-4-2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ उएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।

5- राजस्व अनुभाग-6।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।